न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 17 / 2024
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

सुनील कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार, श्री जगदम्बा मिष्ठान भण्डार, मसीतावाली हैड तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट
उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री मदनलाल गोदारा अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —23.12.2024

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2024 को बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जांच बाबत् मसीतावाली हेड पर स्थित श्री जगदम्बा मिष्ठान भण्डार पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित सुनील कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार ने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान एक घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुड़े पाये गये तथा चालू हालत में पाये गये। पूछताछ में बताया कि मिठाई तैयार कर विक्रय की जाती है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये **एचपीसीएल कम्पनी** के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री राकेश प्रबंधक, सहारण एचपी गैस एजेंसी, मुण्डा हनुमानगढ़ की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.23 13:26:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बयान किये कि अप्रार्थी अपने उक्त प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने वाले घरेलू सिलेण्डर ही उपयोग करता है लेकिन निरीक्षण के समय उक्त व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के अचानक खत्म हो जाने पर अपने घर पर उपयोग में लिये जाने वाला गैस सिलेण्डर कुछ देर के लिये लगा लिया व दूसरा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर भरवाने के लिए अप्रार्थी ने अपने हेल्पर को गैस एजेंसी में भेज दिया था लेकिन निरीक्षण के समय उक्त घरेलू सिलेण्डर चालू होने के कारण जब्त कर लिया गया। अप्रार्थी सद्भावी है तथा अपने उक्त प्रतिष्ठान में

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अप्रार्थी उक्त व्यवसायिक गैस सिलेण्डर ही उपयोग में लेता है। अप्रार्थी उक्त प्रतिष्ठान चलाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप की जावे तथा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये **एचपीसीएल कम्पनी** के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा **एचपीसीएल कम्पनी** का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः **एचपीसीएल कम्पनी** का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.23 13:26:58 IST
Reason: SelfAttested